

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम (म0प्र0)

//आदेश//

क्रमांक 962 /दो-11-17/23

नर्मदापुरम,दिनांक 12/12/23

मैं रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम कार्यविभाजन आदेश वर्ष 2023 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रतिस्थापित करता हूँ :-

पेज क्रमांक 8 की कंडिका 13 **श्री हर्ष भदौरिया, प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, इटारसी** के समक्ष कॉलम 4 की कंडिका 16 (पेज क्रमांक 9 पर) के पश्चात कंडिका 17 निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :-

- 17- सुश्री पूर्वी राय, प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, इटारसी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, इटारसी (ट्रेनी जज) के न्यायालय द्वारा सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में पारित आदेशों/निर्णयों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली सिविल/आपराधिक अपीलें एवं पुनरीक्षण याचिकायें।

SD/-

(रामकुमार चौबे)
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म0प्र0)

कार्यविभाजन पत्रक 2023 में आंशिक संशोधन की प्रतिलिपि :-

- 01- श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 02- समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला स्थापना, नर्मदापुरम / सिवनी मालवा / इटारसी / सोहागपुर / पिपरिया
- 03- अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, नर्मदापुरम / इटारसी / सिवनी मालवा / सोहागपुर / पिपरिया
- 04- प्रस्तुतकार सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम
- 05- पंजीयन लिपिक, नर्मदापुरम
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

SD/-

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म०प्र०)